संख्या 687/कृषि/2001

प्रेषक,

डा०पी०एस०गुसाई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
कृषि एवं भूमि संरक्षण,
उत्तरांचल पौड़ी।

कृषि अनुभाग

देहरादून:दिनांक: 25 सितम्बर, 2001

विषय– भूमि संरक्षण योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशसंख्या 4670/12-3-96-156/86, दिनांक 13-2-97 एवं शा0 संख्या 2853/12-3-2000-156/86,दिनांक 13 नवम्बर, 2000 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 4097/36-3-2000-3(एम0 डब्लू0)/97, दिनांक 4-2-2000 द्वारा संशोधित की गई दैनिक वेतन की दरों के आधार पर कृषि विभाग की भूमि संरक्षण योजनाओं में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान उत्तरांचल राज्य के लिये रू0 58-00 प्रतिदिन की दर से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त संशोधित दर पर स्वीकृति दैनिक मजदूरी में हुई वृद्धि के फलस्वरूप कोई अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति योजनाओं के कार्यमद में शासन द्वारा नहीं दी जायेगी। मजदूरी की संशोधित दर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कराये जाने वाले कार्यों से लागू होगी।

भवदीय,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव

संख्या 687(1)/कृषि/2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1– समस्त, जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2– समस्त उप निदेशक, भूमि संरक्षण ,उत्तरांचल।
3– समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरांचल।
4– समस्त भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र उत्तरांचल।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0पी0एस0गुसाई)
अपर सचिव